का पत्र ...

21/08/... पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को बार-बार अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी सं० 1 की Reg. A.D. के सम्मन व प्रतिवादी सं० 07 के तलबाना सम्मन पेश न हो। अतः वादी का वाद एतद् नियम O-9 R-5 व O-9 R-2 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर के क्रम की जाकर दफ्तर दाखिल हो। [illegible]

Scanned with OKEN Scanner